



पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-07.08.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, संवि०सं० डॉ० अब्दुल गफूर, संवि०सं० डॉ० रामानंद यादव, संवि०सं० डॉ० फैयाज अहमद, संवि०सं० श्री अखतरूल इस्लाम शाहिन, संवि०सं० श्री लक्ष्मी नारायण यादव, संवि०सं०	“22 अप्रैल, 1986 को नवादा जिला मुख्यालय में साम्प्रदायिक हिंसा में 40 लोग मारे गये थे जिनके आश्रितों को मात्र 20-20 हजार रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया जो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के समान है । दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, श्री अनिल देव द्वारा श्रीमती भजन कौर बनाम दिल्ली सरकार से संबंधित याचिका में दिनांक-05.07.1996 को पारित आदेश के आलोक में प्रत्येक दंगा पीड़ित परिवार को 3.50-3.50 लाख रु० मुआवजा दिया जाना था । इसी आदेश के आलोक में 1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा में मारे गये लोगों के परिवारों को 3.50-3.50 लाख रु० का मुआवजा भुगतान किया गया । लेकिन नवादा में हुये साम्प्रदायिक दंगा में मारे गये लोगों के परिवारों को 3.50-3.50 लाख का भुगतान अभी तक नहीं किया गया । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी दंगा पीड़ितों को समान रूप से 3.50-3.50 लाख रु० मुआवजा भुगतान करने की सिफारिश की है । अतः 1986 में नवादा जिला मुख्यालय में हुए साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गये लोगों के आश्रितों को 3.50-3.50 लाख रु० मुआवजा भुगतान करने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।”	गृह

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री प्रेम रंजन पटेल,
संवि०स०
श्री कृष्णनंदन पासवान,
संवि०स०
- "लक्खीसराय जिला अन्तर्गत धनवह-गोपालपुर, रामपुर-लाखोचक, पथ देवघरा-मनियारचक पथ काफी जर्जर व जीर्णशोर्ण है। लाखों लोगों के आवागमन का एक मात्र साधन यह सड़क है। सड़क जर्जर रहने के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। सड़क का निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा फिजिवलिटी रिपोर्ट कई बार तैयार कर ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है।

अतः धनवह-गोपालपुर, रामपुर-लाखोचक, देवघरा-मनियारचक सड़क का निर्माण कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"


हरेराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/15- 1417 / वि०स०, पटना, दिनांक-06 अगस्त, 2015 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/15- 1417 / वि०स०, पटना, दिनांक-06 अगस्त, 2015 ई०।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

